न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 08/2016
दायर दिनांक : 28/03/2016
निर्णय दिनांक : 22/06/2024

उनवान

1. डूंगाराम पिता नोला रेगर मृतक के बजाए –
   1/1 श्रीमती मोहनी बेवा डूंगाराम रेगर निवासी गिलूण्ड़ तहसील भूपालसागर
   1/2 भैरूलाल पिता डूंगाराम रेगर बविलायत मोहनीबाई पत्नी डूंगाराम निवासी गिलूण्ड़ तह. भूपालसागर
2. आशाराम पिता नवला रेगर निवासी गिलूण्ड़ तहसील भूपालसागर
3. भगवानलाल पिता नवला रेगर निवासी गिलूण्ड़ तहसील भूपालसागर
4. श्रीमती मांगीबाई पत्नी मांगीलाल रेगर निवासी गिलूण्ड तहसील भूपालसागर
5. रतनलाल पिता मांगीलाल रगर निवासी गिलूण्ड तहसील भूपालसागर
6. परसराम पिता मांगीलाल रेगर निवासी गिलूण्ड तहसील भूपालसागर
7. नारायण पिता मोतीलाल रेगर निवासी गिलूण्ड तहसील भूपालसागर
8. किशनलाल पिता प्रताप रेगर निवासी गिलूण्ड तहसील भूपालसागर
9. इन्द्राबाई पत्नी प्रताप रेगर निवासी गिलूण्ड़ तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. अकबर अली बोहरा पिता इन्दुला बोहरा निवासी म.नं. 15 बोहरवाड़ी हाथीपोल उदयपुर
2. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् खातेदारी अधिकार की घोषणा, बंटवारा आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि मौजा ताणा पटवार हल्का ताणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित वादीगणों की कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है। जिसके हाल आराजी नं. 2753 रकबा 0.40 है., आ.सं. 2754 रकबा 0.19 है., आ.सं. 2755 रकबा 0.01 है., आ.सं. 2756 रकबा 0.16 है., आ.सं. 2757 रकबा 0.51 है., आ.. 2758 रकबा 0.05 है., आ.सं. 2759 रकबा 0.38 है., आ.सं. 2760 रकबा 0.14 है., आ.सं. 2761 रकबा 0.05 है., आ.सं. 2762 रकबा 0.06 है., आ.सं. 2763 रकबा 0.10 है., आ.सं. 2764 रकबा 0.04 है., आ.सं. 2765 रकबा 0.07 है., आ.सं. 2766 रकबा 0.03 है., आ.सं. 2768 रकबा 0.06 है., आ.सं. 2769 रकबा 0.19 है., आ.सं. 2770 रकबा 0.19 है., आ.सं. 2771 रकबा 0.22 है., आ.सं. 2772 रकबा 0.25 है., आ.सं. [illegible] रकबा 0.17 है., आ.सं. 2774 रकबा 0.35 है., आ.सं. 2775 रकबा 0.15 है., आ.सं. 2776 रकबा 0.12 है., आ.सं. [illegible]77 रकबा 0.09 है. किता 25 रकबा 4.06 है. स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में दर्ज है। उपरोक्त आराजियात पर वादीगणों का संयुक्त व पृथक पृथक रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जमीन वादीगणों के पिता व दादाजी नवला पिता नगा रेगर (बोला) ने प्रतिवादी संख्या एक से मुताबिक रूक्का सं० 12 सम्वत 2012 दिनांक 26.12.1955 को 475/ रूपये में कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया और सम्वत् [illegible] दिनांक 23.05.1959 से लगान आदि वादीगणों के पिता व दादाजी ने जमा कराया लगातार जमा कराते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या एक ने रजिस्ट्री कराने की शर्त की जिसके अनुसार आज दिनांक तक वादीगणों के नाम पंजीयन नहीं कराया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीगणों के पुश्तैनी वारिसान का सजरा निम्न है : नवला पिता नंगा (फौत), मांगीलाल (फौत) पुत्र, डूंगाराम (फौत) पुत्र, मोतीलाल (फौत) पुत्र, आशाराम पुत्र, प्रतापलाल (फौत) पुत्र, भगवानलाल पुत्र, रतनलाल–परसराम पौत्र, नारायणलाल पौत्र, किशनलाल पौत्र। उपरोक्त सजरे अनुसार सारे वादीगण मृतक नवला के समय प्रतिवादी सं. 1 से उपरोक्त आराजियात खरीद की उस समय से ही काबिज होकर के अनवरत रूप से काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा कभी भी मृतक नवला व उसके बाद वादीगणों को मौके पर बेदखल करने किसी भी रूप में नहीं आया। प्रतिवादी संख्या एक ने मगसरसुदा 12 सम्वत 2012 तारीख 26. 12.1955 को बिकाव की तहरीर लिखकर तयसुदा रूपया प्राप्त कर तहरीर में ग्राम ताणा स्थित प्रतिवादी की आराजियात व कुआ स्थित है उसको बिकाव कर दिया बाद मे रजिस्ट्री कराने की शर्त भी तय कर अंकित की। सम्वत 2015 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम साबिक जमाबंदी में अंकित आं. नं. 1190 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा आ.सं. 1191 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आ.सं. 1193 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आ.सं. 1195 रकबा 3 बिस्वा आ.चा. कुआं आ.सं. 1196 रकबा 3 बिस्वा स्थित थी जिसके हाल नं. वाद की कॉलम सं. एक में वर्णित आराजियात बने जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मृतक नवला को उक्त आराजियात मगसर सुद 12 सम्वत 2012 दिनांक 16.12.1955 को विक्रय कर दी व कब्जा सौंप दिया उसके बाद प्रतिवादी कभी भी उपरोक्त आराजियात पर कब्जा करने नहीं आया मृतक नवला व उसके बाद वादीगण अनवरत रूप से वादीगण काबिज होकर मौसम अनुसार काश्त कर रहे हैं तथा सम्वत् 2015 के बाद राजस्व लगान व सिंचाई विभाग के लगान मृतक नवला ने ही अदा किया जिसकी रसीदे वादपत्र के साथ पेश है तथा कयशुदा आराजियात व कुएं को आबाद कर विद्युत कनेक्शन लेकर मोटर लगा रखी है तथा वादीगणों ने अपने हिस्से अनुसार मकान पक्के व कच्चे केलुपोस ढालिये बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। यह कि मृतक नवला व उसके बाद वादीगणों का कब्जा 60 वर्ष व उससे भी अधिक समय से अनवरत चला आ रहा है और वर्तमान में भी है। इसलिए वादीगणों को उपरोक्त आराजियात को अपने नाम खाते दर्ज कराने का पूरा कानून अधिकार प्राप्त है तथा खातेदार काश्तकार होने की घोषणा जरिये तहरीर (बिकावनामा) के प्रतिवादी सं. 1 के नाम स्थान पर वादीगणों के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इतने वर्षों के पश्चात भी मृतक नवला व उसके वारिस वादीगण द्वारा उनके नाम रजिस्ट्री करने के लिए कहा लेकिन तैयार नहीं हुआ इसलिए प्रतिवादी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा अगर वादीगणों को उसके स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। अगर नहीं किया गया तो वादीगणों को काफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति मूल्यों में नहीं आंकी जा सकेगी। वादीगण पिछले 60 वर्षों से उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं नवला की मृत्यु होने के बाद वादीगणों ने आपसी मौके पर बंटवारा कर संयुक्त व पृथक रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी अनुसार वादीगणों को खातेदार घोषित करते हुऐ कब्जे अनुसार बंटवारा कर अलग जमाबंदी कायम की जाना न्यायोचित है। पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि कॉलम सं. एक में वर्णित आराजियात पर पिछले 60 वर्ष से मृतक नवला व उसके बाद वादीगण अनवरत रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड की हाल जमाबंदी में वादीगणों का नाम इन्द्राज किया जावे। पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवारा आराजियात कब्जे अनुसार सभी वादीगणों का बंटवारा की डिक्री जारी की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से भी पावन्द किया जावे कि वादीगणों के कब्जे काश्त में दस्तन्दाजी नहीं करे ऐसा कार्य प्रतिवादीगण स्वयं नहीं करे न ही ऐसा कार्य अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट से भी नहीं करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की तलबी हेतु राजस्थान पत्रिका दिनांक 11.11.2017 में साया करवाया जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं आने से दिनांक 31.03.2022 को कार्यवाही एकतरफा की गई। साक्ष्यवादी एकतरफा में आशाराम PW1, भागवानलाल PW2, शंकरलाल PW3, भूरालाल PW4, छोगालाल PW5 के शपथपत्र शामिल [illegible] है। पत्रावली में कार्यवाही एकतरफा होने से तनकियात कायम नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ताणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित वादीगणों की कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है जिसके हाल आ.सं. 2753 रकबा 40 है., आ.सं. 2754 रकबा 0.19 है., आ.सं. 2755 रकबा 0.01 है., आ.सं. 2756 रकबा [illegible] है., आ.सं. 2757 रकबा 0. 51 है., आ.सं. 2758 रकबा 0.05 है., आ.सं. 2759 रकबा 0.38 है., आ.सं. 2760 रकबा 0.14 है., आ.सं. 2761 रकबा 0.05 है., आ.सं. 2762 रकबा 0.06 है., आ.सं. 2763 रकबा 0.10 है., आ.सं. 2764 रकबा 0.04 है., आ.सं. 2765 रकबा 0.07 है., आ.सं. 2766 रकबा 0.03 है., आ.सं. 2767 रकबा 0.08 है., आ.सं. 2768 रकबा 0.06 है.,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आ.सं. 2769 रकबा 0.19 है, आ.सं. 2770 रकबा 0.19 है, आ.सं 2771 रकबा 0.22 है, आ.सं. 2772 रकबा 0.35 है, आ.सं. 2773 रकबा 0.17 है, आ.सं. 2774 रकबा 0.35 है, आ.सं. 2775 रकबा 0.15 है, आ.सं. 2776 रकबा 0.12 है, आ.सं. 2777 रकबा 0.09 है किता 25 रकबा 4.6 है भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के पिता नवला पिता नंगा को मगसर सुद 12 सम्वत 2012 तारीख 26.12.1955 को बिकाव की तहरीर (खत) लिखकर तयसुदा रुपया प्राप्त कर वादीगण के पिता नवला के हक में बिकाव का खत लिखा उसमें अंकित किया कि ग्राम गिलूण्ड मजरा ताणा में प्रतिवादी सं. 1 की आराजियात व कुआ स्थित है उसको बिकाव कर दिया बाद में रजिस्ट्री कराने की शर्त भी तय कर अंकित कर दी उक्त आराजियात का साबिक दस्तावेज सम्वत 2015 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम साबिक जमाबंदी में अंकित आराजी नं. 1190 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, आ.सं. 1191 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आ.सं. 1193 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आ.सं. 1195 रकबा 3 बिस्वा आ.चा.कुआ स्थित है। आ.सं. 1196 रकबा 3 बिस्वा स्थित है जिनके वर्तमान आराजी नंबर बने जो उक्तानुसार होकर प्रति. सं. 1 के नाम रिकार्ड दर्ज है। उक्त विक्रयशुदा खत के अनुसार वादीगण के पिता नवला ने दिनांक 26.12.1955 को प्रतिवादी सं. 1 से अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तयसुदा राशि प्रतिवादी सं. 1 को अदा कर प्रतिवादी सं. 1 ने उपरोक्त आराजियात का कब्जा मगसर सुद 12 सम्वत 2012 दिनांक 26.12.1955 को वादीगण के पिता को सिपुर्द कर दिया तब से ही वादीगण के पिता नवला की मृत्यु हो जो से वादपत्र में अंकित सजरे अनुसार वादीगण इस वाद में पक्षकार हैं। वादीगण का कब्जा 65 वर्षों व इससे अधिक समय से चला आ रहा है। प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के पते पर कई बार तामीलें प्रस्तुत की लेकिन उक्त पते पर कोई नहीं मिलने से आदेश 5 नियम 20 के तहत प्रतिस्थापित तामील के जरिये दिनांक 12.11.2017 को राजस्थान पत्रिका उदयपुर संस्करण में अखबार में प्रकाशन करवाया गया उसके बावजूद भी प्रतिवादी स्वयं या उसके वारिसान कोई उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और मौके की वास्तविक स्थिति हेतु मौका पर्चा मंगवाया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित तहरीर विक्रय खत प्रदर्श 1 तथा साबिक जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, मौके के फोटोग्राप्स, बिजली के बिल, मौका पर्चा की रिपोर्ट तथा वादीगण द्वारा अदा की गई लगान की रसीदे तथा मृतक नवला व डूंगा के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जो पत्रावली पर है। वादीगण ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पूर्णतया इस आधार पर साबित कराया कि वादीगण के पिता मृतक नवला ने प्रतिवादीगण को तयसुदा विक्रयपत्र की प्रतिफल राशि अदा कर विधिवत रूप से कब्जा प्राप्त किया जिसकी साक्ष्य वादीगण ने प्रस्तुत तहरीर (विक्रय खत) को प्रदर्शित कराया जिसमें लिखित ईबारत से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 ने तयसुदा प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सिपूर्द किया उसके बाद से ही न तो प्रतिवादी स्वयं आया और न ही आज दिनांक तक उनके कोई उत्तराधिकारी या वारिसान उक्त आराजियात पर आये इसके अलावा पटवार हल्का ताणा द्वारा प्रस्तुत मौके पर्चे की रिपोर्ट तथा फोटोग्राप्स व विद्युत बिल आदि से स्पष्ट साबित है कि उपरोक्त आराजियात पर वादीगण का ही कब्जा है व काश्त कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उच्च न्यायालय व राजस्व मण्ड़ल के न्यायिक दृष्टान्त में ऐसे प्रकरणों का वर्णन आया है जिसमें न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई प्राईवेट व्यक्तियों की जमीनों पर कब्जाधारी का कब्जा निरन्तर 12 वर्षो से है तो उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार हैं, जिसका न्यायिक दृष्टांत खुमान मल बनाम भैरू बी.बी.सी. रिट पिटिशन नंबर 2321/82 दिनांक 11.08.1994 प्रस्तुत है जिसमें प्रतिकूल कब्जे को भी धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार दिये गये। माननीय राजस्व मण्ड़ल अजमेर कैम्प जयपुर का एक न्यायिक दृष्टांत श्रीलाल व अन्य बनाम प्रभुलाल व अन्य अपील नंबर 211/1990 निर्णय दिनांक 28.10.1992 के निर्णय में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जेधारी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये इसके साथ ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर जानकीदास चेला हरिदास स्वामी बनाम दीनदयाल व अन्य आर.आर.टी. 2006 (1) 190 [illegible] दृष्टांत में भी धारा 88 प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर घोषणा हेतु वादपत्र पेश कि[illegible] अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि कय की और विकेता ने विकयशु[illegible] कब्जे व आधिपत्य का आधार विकय करार के आधार पर हैं वादी [illegible] आधिपत्य अनुमति से [illegible] क ताकत के बल या अवैधानिक रूप से नहीं है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो में [illegible] पत्र के तथ्यों व परिस्थितियों से पूर्णतया मिलती है तथा उक्त दृष्टांत [illegible] का सहयोग करती है इसलिये उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत इस वाद के निर्णय में चस्पा होने योग्य है तथा वादीगण ने भी अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतया वाद के तथ्यों को साबित कराया है इसलिये वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित व नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के आधार पर सुसंगत है इसके अलावा प्रतिवादी या उनके उत्तराधिकारी इस वाद में काफी प्रयास करने व तामील हेतु पूर्ण कानूनी प्रावधानों

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

को उपयोग लाने के बावजूद भी उपस्थित नही होने से पक्षीय कार्यवाही हुई है क्योकि प्रतिवादी स्वयं यह जानता था और उनके उत्तराधिकारी भी जानते थे कि उक्त आराजियात का विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सिपूर्द कर दिया है इसलिये अब उपरोक्त आराजी पर उनका कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिये प्रतिवादी या उनके वारिसान इस विधिक कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित नहीं हुऐ है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा लिखित विक्रय तहरीर खत जो कि वर्ष 1955 का है जिसको वादपत्र में प्रदर्शित कराया है, जिस पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह कूटरचित या जाली है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 में भी यह उपधारणा है कि 30 वर्षो से अधिक पुराने दस्तावेजों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है और वह दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार सुसंगत साक्ष्य है। इसलिये उक्त दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं और उसी अनुसार वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादीगण का नामा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने के भी अधिकारी हैं। अतः निवेदन है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस को स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाई जाकर वादी का वाद स्वीकार कर डिकी जारी फरमाई जावे।

तहसीलदार, भूपालसागर ने रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022 प्रस्तुत की। उक्त रिर्पोट दिनांक 10.02.2022 में अंकित किया है कि ग्राम ताणा की आ.सं. 27753, से 2777किता 25 रकबा 4.0600 है. लगानी 39.16 है. की मौका एवं रिकार्ड ग्राम ताणा की आ.सं. 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777 कुल किता 25 रकबा 4.06 है. श्री अकबर अली पिता इन्दुला बोहरा नि. दे हके नाम दर्ज है। मौके पर आराजी नं. 2765, 2767, 2768, 2772 एवं 2777 आंशिक में मकान एवं बाडे बने हुऐ हैं तथा शेष समस्त आराजियात पर काश्त की जा रही है। वक्त जांच उपस्थित मौतबिरान ने उक्त समस्त आराजियात पर श्री भैरूलाल पिता डूंगाराम रेगर, श्रीमती मोहनी पत्नी स्व. डूंगाराम रेगर, आशाराम, भगवानलाल पिता नवला रेगर, नारायण पिता मोतीलाल रेगर, किशनलाल पिता प्रताप एवं इन्द्राबाई पत्नी प्रताप रेगर के संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त एवं निवास के उपयोग में लिया जाना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात का प्रदर्श 2 अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादी सं. 1 को बेचान कर वादीगण किया गया है, प्रदर्श 8 से लगायत 22 अनुसार उक्त आराजियात का लगान नियमित जमा होना स्पष्ट है, प्रदर्श 23 से लगायत 27 अनुसार वादीगण के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अतः वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादी की लिखित बहस एवं तहसीलदार, भूपालसागर की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम ताणा की आ.सं. 2753 रकबा 0.40, 2754 रकबा 0.19, 2755 रकबा 0. 01, 2756 रकबा 0.16, 2757 रकबा 0.51, 2758 रकबा 0.05, 2759 रकबा 0.38, 2760 रकबा 0.14, 2761 रकबा 0.05, 2762 रकबा 0.06, 2763 रकबा 0.10, 2764 रकबा 0.04, 2765 रकबा 0.07, 2766 रकबा 0.03, 2767 रकबा 0.08, 2768 रकबा 0.06, 2769 रकबा 0.19, 2770 रकबा 0.19, 2771 रकबा 0.22, 2772 रकबा 0. 25, 2773 रकबा 0.17, 2774 रकबा 0.35, 2775 रकबा 0.15, 2776 रकबा 0.12, 2777 रकबा 0.09 कुल किता 25 रकबा 4.06 है. भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Geira
Date: 2024.10.28 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (सील)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर